# हरियाणा का शराबबन्दी आन्दोलन

प्राचीन काल से ही हरियाणा वैदिक संस्कृति का केन्द्र व उन्नायक रहा है। इसमें बहती सरस्वती नदी के तट पर बैठकर ही ब्राह्मणों ने वैदिक ऋचाओं का गान और चिन्तन-मनन किया था और सारस्वत ब्राह्मणों के नाम से वे लोक-प्रसिद्ध हुए थे। अनेक आरण्यक अर्थात् उपनिषदों की रचना इसी क्षेत्र की देन रही हैं। विश्व-व्यापी गीता का संदेश सर्वप्रथम इसी धरती पर गूँजा था। अनेक साधु-संतों व योगी-मुनियों की क्रीड़ा-स्थली एवं तपोभूमि यही क्षेत्र रहा है। ब्रह्मत्व एवं क्षत्रियत्व का संगम भी यही भूमि रही है। अपनी इस विशिष्टता के कारण ही इस प्रदेश में एक ऐसी समृद्ध लोक-संस्कृति का विकास हुआ जिसमें कुरीतियों, अंधविश्वासों, कुटेवों का कम प्रभाव रहा है। दूध और दही तथा घी और मक्खन की यहाँ भरमार रही जो इस बात का प्रतीक थी कि स्वास्थ्य और चरित्र-निर्माण के प्रति एक व्यापक एवं गहन दृष्टिकोण यहाँ के लोगों का रहा है। लेकिन आजादी मलते ही जिस बाजारवादी सोच का यहाँ विकास हुआ उससे हरियाणा का यह सिम्बल और मिथिक टूटने लगा। पशु धन बूचड़खाने जाने लगा और उसका स्थान मुर्गीखानों, सूअरखानों व मछली-तालाबों ने ले लिया। माँस और शराब का चोली दामन का साथ है अतः शराब का चलन भी यहाँ खूब फला-फूला। चार रुपये में तैयार बोतल चालीस रुपये में जब बिकती देखी तो शराब माफिया ने हरियाणा में भी पाँव फैलाने शुरू कर दिये। भारी राजस्व के लोभ में हरियाणा सरकार ने भी इस व्यवसाय को संरक्षण व बढ़ावा देने में लाभ समझा। प्रशासन और पुलिस के लिए भी शराब की बोतल में जो आकर्षण था उससे उसकी भी जेब गरम रहने लगी। शराब की खपत कैसे बढ़े इस पर गहन चिन्तन होने लगा और परिणामतः गाँव की पंचायतों को एक बोतल पर एक रुपये की कमीशन देकर शराब की नाली गाँव चौपाल तक बिछा दी गई।

मदिरापान से व्यक्ति की केवल आर्थिक हानि नहीं होती बल्कि उसका शारीरिक, मानसिक, आत्मिक और आध्यात्मिक विकास भी अवरुद्ध होता है। समाज में उसकी प्रतिष्ठा गिरती है तथा सामाजिक प्रदूषण भी फैलता है। पत्नी और बच्चे तक उसे तिरस्कृत दृष्टि से देखना शुरू कर देते हैं जिससे घर का वातावरण प्रदूषित अथवा तनावग्रस्त हो जाता है। जिस दुकान, संस्थान, फैक्ट्री या कार्यालय में वह काम करता है वहाँ कार्य शैली व कार्य क्षमता तथा उपलब्धियाँ भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकतीं। मदिरा व्यक्ति को आपराधिक दुनिया में भी धकेलती है। अधिकतर वाहन दुर्घटनाएँ नशाखोरी के कारण ही होती हैं। आर्थिक स्थिति डांवाडोल होने से गृहक्लेश तो शुरू होता ही है बच्चों का मानसिक और शैक्षिक विकास भी ठीक ढंग से नहीं हो पाता।

शराबखोरी से होने वाले इन तमाम नुकसानों व उसके प्रति नितांत लापरवाही दिखाने वाली सरकारी व प्रशासनिक इकाइयों का दृष्टिकोण एक आम व्यक्ति को सोचने पर विवश करता था कि इस सबके चलते इस देश व समाज का क्या होगा? हजारों देशभक्तों ने क्या इसीलिए स्वाधीनता के लिए बलिदान दिया था कि देश के यौवन और विकास को रंगीन पानी में डुबाकर खाली बोतलों में कैद कर दिया जाये? इसी ज्वलंत प्रश्न पर विचार करने के लिए सार्वदेशिक आर्य युवक परिषद् में गहन मंथन प्रारम्भ हुआ और सन् 1992 के शुरू होते ही हरियाणा शराबबंदी संघर्ष समिति गठित करके शराबबंदी आन्दोलन का बिगुल बजा दिया गया। इससे पूर्व हरियाणा की आर्य प्रतिनिधि सभा स्वामी ओमानन्द, प्रो0 शेर सिंह, विजय कुमार, अतर सिंह क्रान्तिकारी आदि के नेतृत्व में भी शराबबंदी आन्दोलन मंथर गति से चला रही थी जिसकी चर्चा तो अधिक थी लेकिन प्रभाव नहीं बन पा रहा था। हरियाणा शराबबंदी संघर्ष समिति के संरक्षक व प्रणेता तो स्वामी इन्द्रवेश और स्वामी अग्निवेश ही थे लेकिन इसका अध्यक्ष श्री रामधारी शास्त्री (स्वामी रामवेश) एवं महामन्त्री श्री महेन्द्र सिंह शास्त्री को बनाया गया।

'हरियाणा शराबबंदी संघर्ष समिति' को सफल बनाने के लिए स्वामी इन्द्रवेश जी ने अपना पूरा समय देने का निश्चय किया। जिला स्तर पर समितियाँ गठित करके मार्च महीने में अगले साल के लिए जब ठेकों की नीलामी हुई तब इन समितियों ने जीन्द, हिसार, भिवानी, रोहतक, पानीपत, गुड़गाँव, फरीदाबाद जिलों में प्रभावशाली प्रदर्शन कर नीलामी छुड़वाने वालों को चेता दिया कि जनता जाग गई है, शराब बिकने नहीं देंगे। हर जिले में कुछ ठेके बन्द करवाने में सफलता प्राप्त हुई।

जून माह में गुड़गाँव व जीन्द जिले में शराबबंदी पंचायतें की गई। धर्मपुर (गुड़गाँव) में जब अस्थायी ठेका खुला तो 20 मई से जिलाधीश गुड़गाँव के निवास के बाहर अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया था। यही धरना बाद में धर्मपुर गाँव के ठेके पर ले जाया गया। महेन्द्र सिंह शास्त्री ने 12 जून को धर्मपुर में महापंचायत करने की घोषणा कर दी जिससे पूरे क्षेत्र में उत्तेजना व्याप्त हुई। महापंचायत में 360 झाड़सा एवं 360 पालम के प्रतिनिधि सम्मिलित हुए जिनमें मुख्यतः बावल की चौरासी, पटौदी की बावनी, भौड़ाकलां की बावनी, तावडू की बावनी, हरसरूगढ़ी की पैंतालीस, महरौली की छियानबे, दहिया की चालीस, नरेला की सतरह, बवाना की बारह, जटराणा की आठ, गुड़गाँव की अठारह, बावल की बारह तथा मानेसर की 360 के अतिरिक्त धौज, पृथला, दलाल, देवल नांगल, देवली, किशनगढ़ आदि की चौधर ने भाग लिया। इस ऐतिहासिक महापंचायत की अध्यक्षता पालम खाप के प्रधान चौ0 रिजकराम ने की तथा आर्यसमाज के नेता स्वामी अग्निवेश, स्वामी आदित्यवेश, भू0 पूर्व मुख्यमंत्री चौ0 बंसीलाल, चौ0 देवी सिंह प्रधान-झाड़सा खाप, शिवराम विद्यावाचस्पति आदि ने सम्बोधित किया। महापंचायत का संयोजन महेन्द्र शास्त्री ने किया। महापंचायत ने फैसला लिया कि धरना तब तक चलेगा जब तक ठेका उठा नहीं लिया जाता। इस महापंचायत से शराबबन्दी आन्दोलन को आशातीत बल मिला।

इस धरने के समर्थन में 17 जून को गुड़गाँव के जिलाधीश के कार्यालय पर हजारों स्त्री-पुरुषों ने मिलकर विशाल प्रदर्शन किया व उपायुक्त को ज्ञापन भी दिया। 25 जून को धरने पर बैठीं महिलाओं पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया जिससे पूरा इलाका भड़क गया। जनता ने पूरी ताकत झोंक कर आन्दोलन को तेज कर दिया। इस लाठी चार्ज में श्री महेन्द्र सिंह शास्त्री को काफी चोटें आई। पुलिस के इतने दमन के पश्चात बहादुर महिलाओं ने 6 जुलाई को पुनः प्रदर्शन करने का साहस किया। इस प्रदर्शन में स्वामी इन्द्रवेश और स्वामी अग्निवेश ने बतौर भारतीय आर्य प्रतिनिधि सभा के प्रधान व महामन्त्री की हैसियत से भाग लिया। स्वामी आदित्यवेश, जगवीर सिंह, रामधारी शास्त्री, चौ0 रिजक राम, बिरजानन्द, प्रो0 श्योताज सिंह, भगत मंगतू राम, महेन्द्र सिंह 'एडवोकेट' आदि भी इसमें सम्मिलित हुये। जिला कचहरी में उपायुक्त को बुलाकर वेशद्वय ने मांग-पत्र दिया। फलतः उपायुक्त ने ठेका बन्द करने की घोषणा कर दी। महेन्द्र शास्त्री व राज निर्भीक का डेढ़-दो महीने का संघर्ष इस प्रकार सफल हुआ।4 जून 1992 को शराबबंदी संघर्ष समिति के तत्वावधान में जीन्द व किनाणा खाप की ओर से विशाल शराबबंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में निर्णय लिया गया कि शराब पीने वाले और शराब बेचने वाले को ग्यारह सौ रुपये जुर्माना पंचायत को देना पड़ेगा और जो न देगा उसका सामाजिक बहिष्कार व हुक्का पानी बन्द होगा। इस सम्मेलन को सम्बोधित करने के लिए स्वामी इन्द्रवेश जी, स्वामी आत्मानन्द दण्डी, रामधारी शास्त्री, जगवीर सिंह, आचार्य गजेन्द्र योगी, आचार्य यशोवर्द्धन, चौ0 रणधीर सिंह रेढू, सत्यनारायण लाठर, चौ0 ईश्वर सिंह को आमंत्रित किया गया था। सहदेव बेधड़क और पं0 चन्द्रभान आर्य आदि आर्योपदेशक भी यहाँ पधारे। जोरा सिंह आर्य ने इस सम्मेलन का संयोजन किया था। एक इसी प्रकार का सम्मेलन मास्टर रायसिंह आर्य ने 5 जून को घोघडीयाँ (जीन्द) में किया और लगभग यही वक्ता वहाँ पहुँचे। हरियाणा शराबबन्दी संघर्ष समिति ने धर्मपुर की महापंचायत के पश्चात पूरे हरियाणा की ग्राम पंचायतों का आह्वान किया कि सितम्बर से पहले-पहले वे दो-तिहाई मत से शराब विरोधी प्रस्ताव पारित करा कर ई. टी.ओ. को भिजवा दें।

हरियाणा शराबबन्दी संघर्ष समिति ने धर्मपुर की महापंचायत के पश्चात पूरे हरियाणा की ग्राम पंचायतों का आह्वान किया कि सितम्बर से पहले-पहले वे दो-तिहाई मत से शराब विरोधी प्रस्ताव पारित करा कर ई.टी.ओ. को भिजवा दें। हरियाणा सरकार ने शराबबंदी आन्दोलन के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए यह घोषणा की थी कि यदि किसी गाँव में पिछले तीन सालों में कोई शराब की भट्ठी न पकड़ी गई होगी या पिछले तीन वर्षों में कोई नाजायज शराब बेचता न पकड़ा गया होगा तो पंचायत एक्ट के प्रावधान के अनुसार उस गाँव का ठेका आगामी वर्ष से अवश्य बन्द हो जायेगा।